

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक-अवध विहार योजना

प्रथम तल, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

website:www.upavp.in, e-mail:avadviharlko@upavp.com



दिनांक-

पत्र सं०-

/सं०प्र०अवध विहार योजना/फ्लैट संख्या----- (प्रदेशन पत्र)

प्रदेशन पत्र

"DFA"

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु० -----

पत्नी/पुत्र/पुत्री -----

निवासी -----

महोदय/महोदया,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद-पथ) लखनऊ के सेक्टर----- में सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के चार मंजिले फ्लैट, बसेरा-1, (दुर्बल आय वर्ग) हेतु दिनांक----- को सम्पन्न पंजीकरण पात्रता चयन ड्रा के फलस्वरूप चयनित होने एवं दिनांक----- को सम्पन्न नम्बरिंग लाट्री ड्रा के फलस्वरूप फ्लैट संख्या----- आवंटित किया गया है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

शहर :	लखनऊ	चालान संख्या
आरक्षण श्रेणी :	(ख) पंजीकरण धनराशि	रु०00
योजना का नाम :	अवध विहार योजना	(ग) विविध शुल्क	रु०00
भुगतान पद्धति	किश्त	अनुबन्ध पुस्तिका	रु०00
सम्पत्ति श्रेणी	दुर्बल आय वर्ग (G+3) प्रकार फ्लैट	विज्ञापन शुल्क	रु०00
फ्लैट संख्या :	विलेख निष्पादन शुल्क	रु०00
फ्लैट का सुपर एरिया :	37.35 वर्ग मीटर	अग्रिम जल मूल्य	रु०00
फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल :	33.69 वर्ग मीटर	साईट प्लान शुल्क	रु०00
सम्पत्ति का कुल मूल्य		जल/मल संयोजन व्यय	रु०00
फ्लैट का निर्माण मूल्य	रु०00		
लोकेशन चार्ज	रु०00		
फ्लैट का कुल का मूल्य	रु०00		
		कुल योग	रु०00
		विद्युत मद में व्यय की धनराशि	रु० 0.00
		कब्जे से पूर्व जमा करनी होगी	
		(घ) विविध शुल्क पर देय G.S.T.	रु०00

(घटाया (-))

जमा पंजीकरण धनराशि रु०00

(क) प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन

के अन्दर जमा की जाने वाली धनराशि रु०00

शेष देय धनराशि रु०00

किश्तों की गणना हेतु अवशेष धनराशि रु०00

आपको 180 मासिक किश्तें% ब्याज सहित रु०00 जमा करनी होगी, जोकि प्रदेशन पत्र के अनुसार दिनांक से देय है,

उक्त समस्त धनराशि एवं अध्यावधिक किश्तों का भुगतान ऐक्सिस/आन्धा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई.डी./ई-चालान पर जमा कर रसीद प्रस्तुत करें तथा उपरोक्त विवरण के अंश (क) की धनराशि संग्रह खाते में अंश (ग) की धनराशि विविध शुल्क तथा अंश (घ) की धनराशि टैक्स के मद में दिनांक तक ऐक्सिस/आन्धा बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई.डी./ई-चालान पर जमा की जानी होगी।

सेवा कर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद खाता संख्या-00500200001537 IFSCCODE-BARBOHAZARA बैंक ऑफ बडौदा, स्पीड मोटर्स बिल्डिंग, 3 शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ में ऑफ-लाईन/ऑन-लाईन द्वारा जमा किया जाना है। (4.5 प्रतिशत की दर से) रु०00

नोट :-

- (1) किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- (2) वांछित औपचारिकताएँ/धनराशि समयान्तर्गत पूर्ण न करने की स्थिति में रु० प्रतिदिन की दर से रख रखाव शुल्क देय होगा।
- (3) न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन हुआ तो तदनुसार भुगतान करना होगा।
- (4) फ्लैट का विक्रय 05 वर्ष तक प्रतिबन्धित रहेगा।
- (5) उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेश परिवर्तित/लागू होंगे।
- (6) आप द्वारा प्रस्तुत आय/जाति प्रमाण पत्र में कभी भी जांच/सत्यापन के उपरान्त असत्य पाये जाने पर भवन/भूखण्ड निरस्त कर जमा धनराशि जब्त करके कब्जा वापस ले लिया जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- (7) आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह (30 दिन) के अन्दर भवन के कुल मूल्य का भुगतान करने पर प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।


सामान्य आवासीय सम्पत्ति के आवंटन उक्त वांछित धनराशि जमा न करने पर इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो निर्धारित पंजीकरण धनराशि का बीस प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा। तीन माह के पश्चात आवंटन के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर निर्धारित पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत की दर से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण एवं प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

भवन/भूखण्ड को किसी भी ऋण देने वाली संस्था के पक्ष में बंधक रखने में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को कोई आपत्ति नहीं है। नोट : प्रदेशन पत्र अनन्तम है। प्रदेशन पत्र के अनुसार औपचारिकताओं की पूर्ति करने एवं शासन द्वारा निर्दिष्ट स्टाम्प ड्यूटी अदा कर निबंधन के उपरान्त भवन का कब्जा प्रदान किया जायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

क्रमशः 2 पर

आवश्यक निर्देश :-

1. धनराशि/औपचारिकताएं दिनांक तक जमा न होने की दशा में रु0 10.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
2. आवंटियों की सुविधा हेतु परिषद द्वारा "ऑन-लाइन भुगतान" व्यवस्था संचालित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से आवंटी परिषद वेबसाईट के मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक "GENERATION E-CHALLAN" पर स्वयं को रजिस्टर करते हुए किश्तों आदि का ऑन-लाईन  www.upavp.in भुगतान कर सकते हैं।
3. पंजीकरण सत्यापन की शर्त के अधीन जारी इस अनन्तिम आवंटन पत्र/कब्जा पत्र पंजीकरण की वैधता की पुष्टि के उपरान्त ही जारी होगा।

आवंटी द्वारा दिनांक तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

1. प्रदिष्ट सम्पत्ति के निबंधन हेतु रु0 500.00+10+10 के स्टाम्प पेपर पर फ्री-होल्ड पुरितका में दिये गये प्रारूप के अनुसार टंकित कराकर प्रस्तुत करें, 03 नग साइट प्लान, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-..... वृन्दावन आफिस काम्प्लेक्स, लखनऊ से प्राप्त करें तथा 04 नग पासपोर्ट साइज स्वयं की फोटो व आई0डी0 एवं गवाह की दो फोटो एवं पहचान पत्र।
2. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूलरूप में जमा करें।
3. रु0 100.00 के एक सादा नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
4. राजपत्रित अधिकारी से अपने नाम, पते सहित प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ की दो प्रति प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में रु0 10.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मैजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।

नोट :- रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ-पत्र का प्रारूप
समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... उम्र..... वर्ष..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी.....
..... पूर्वक बयान करता/करती हूँ :

- (1) मैं भारत का नागरिक हूँ।
- (2) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति जहाँ है, जैसे है, के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ।
- (3) मेरी/मेरे पति/पत्नी व अथवा अवयस्क बच्चों की वित्तीय वर्ष की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु0..... से अधिक नहीं थी।
- (4) मुझे परिषद के पंजीकरण/आवंटन सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें मान्य होंगी।

शपथी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक-1 से क्रमांक-4 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथी के हस्ताक्षर

क्रमांक-4 के लिए प्रारूप-फोटो एवं हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु (दो नग)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी को भली-भाँति जानता व पहचानता हूँ। इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी..... हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते हैं।

फोटो
चिपकायें

नमूने के हस्ताक्षर :

- 1.
- 2.
- 3.

आश्वासन पत्र प्रारूप

मुझे आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में एन्क्लेव का फ्लैट संख्या-..... आवंटित हुआ है, जिसके कुल मूल्य का भुगतान करने के उपरान्त हम उक्त फ्लैट का विक्रय विलेख निष्पादित करा रहा हूँ/रही हूँ, यदि भविष्य में उक्त फ्लैट के विरुद्ध कोई धनराशि देय निकलती है, तो परिषद नियमानुसार उक्त धनराशि को दण्ड ब्याज सहित निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु मैं बाध्य हूँगा/हूँगी। फ्लैट संख्या-..... का व्यवसायिक प्रयोग मैं भविष्य में नहीं करूँगा/करूँगी।

(.....)
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी.....

विशेष:- अवध विहार योजना लखनऊ में स्थित फ्लैट्स के सापेक्ष भुगतान हेतु ऐक्सिस/आन्धा बैंक चयनित हैं। इन बैंकों के ई-चालान परिषद की वेब-साईट www.upavp.in पर स्वयं अपना ई-चालान बनायें अथवा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अवध विहार योजना, वृन्दावन आफिस काम्प्लेक्स, पंचम तल पर आकर ई-चालान बनवा सकते हैं।

"हमारा प्रयास, सबको आवास"